

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226634 CG-DL-E-15042021-226634

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

No. 213]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सं. 22/2021-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 264(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "बेरियम कार्बोनेट" जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2836 60 00 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अप्रैल 2016, जिसे सा.का.नि. 434 (अ), दिनांक 21 अप्रैल 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/46/2020-डीजीटीआर, दिनांक 2 मार्च, 2021, जिसे दिनांक 2 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अप्रैल 2016, जिसे सा.का.िन. 434 (अ), दिनांक 21 अप्रैल 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2279 GI/2021 (1)

उक्त अधिसुचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 20 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. 354/21/2010–टीआरयू (पार्ट-II)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: अधिसूचना संख्या 14/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अप्रैल 2016, जिसे सा.का.नि. 434(अ), दिनांक 21 अप्रैल 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2021

No. 22/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 264(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/46/2020-DGTR, dated the 2nd March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 2nd March, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Barium Carbonate' falling under tariff item 2836 60 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2016-Customs (ADD), dated the 21st April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 434 (E), dated the 21st April, 2016, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2016-Customs (ADD), dated the 21st April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 434 (E), dated the 21st April, 2016, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 20^{th} October, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/21/2010-TRU (Pt-II)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 14/2016-Customs (ADD), dated the 21st April, 2016, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 434 (E), dated the 21st April, 2016.